# न्यायालय जिला न्यायाधीश, धौलपुर (राज०)

**पीठासीन अधिकारी :-- संजीव मागो, आर०जे०एस० (जिला न्यायाधीश संवर्ग)**

**विविध दीवानी प्रकरण संख्या :- 499/2026**

CNR NO. :- RJDH010008372026

श्रीमती शशी पत्नी सुदामा, निवासी महुआ खेडा, पुलिस थाना कंचनपुर, जिला धौलपुर (राज०)

**-प्रार्थिया/परिवादिया**

**बनाम**

राजस्थान राज्य जरिए लोक अभियोजक, धौलपुर (राज०)

**-अप्रार्थी**

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 448 बीएनएसएस वास्ते अंतरित करने पत्रावली**

उपस्थिति :-

1- श्री गिरिजा शंकर लालिया, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थिया की ओर से ।

2- विद्वान लोक अभियोजक, अप्रार्थी की ओर से ।

**आदेश** **दिनांक : 27/07/2026**

1) इस आदेश के द्वारा प्रार्थिया/परिवादिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 448 बीएनएसएस दिनांकित 30.4.2026 का निस्तारण किया जा रहा है।

2) प्रार्थिया/परिवादिया की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अभिवचन किया गया है कि उसके द्वारा मुलजिमान के विरुद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 361/2021 थाना कंचनपुर पर अपराध अंतर्गत धारा 341,323,354,427,452,34 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज कराई गई थी किन्तु मुलजिमान द्वारा उक्त प्रकरण में पुलिस से साज कर व राजनैतिक दबाव बनवाकर अंतिम प्रतिवेदन संख्या 13/22 न्यायालय में प्रस्तुत करवा दिया जिसके संबंध में उसके द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन पेश कर धारा 200 जाप्ता फौजदारी के तहत स्वयं के बयान लेखबद्ध करवाये तथा अब पत्रावली शेष साक्ष्य धारा 202 जाप्ता फौजदारी हेतु लंबित है । प्रार्थिया/परिवादिया प्रकरण के गवाहान को साक्ष्य हेतु न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, बाडी के समक्ष लाती है किन्तु पीठासीन अधिकारी बार-बार यह कहकर टाल देती हैं कि ये राजनीति से प्रेरित मामला

है इसलिए अभी बयान लेखबद्ध नहीं किये जावेंगे । पिछली तारीख से गवाहान की उपस्थिति भी दर्ज नहीं की जा रही है और उल्टा प्रार्थिया की ओर से ही आदेशिका में साक्ष्य हेतु समय चाहने का अंकन कर दिया जाता है । इस प्रकार प्रकरण के विचारण में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है । प्रार्थिया को मौजूद न्यायिक अधिकारी से प्रकरण की निष्पक्ष सुनवाई की कोई उम्मीद नहीं है इसलिए उसका प्रकरण किसी दीगर सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अंतरित कर दिया जावे ।

3) अप्रार्थी/राज्य की ओर से प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं कर मौखिक रुप से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए यह अभिवचन किया गया है कि प्रार्थिया द्वारा विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर झूंठे आरोप-प्रत्यारोप लगाये गये हैं जबकि उसके मामले की विधिवत् सुनवाई की जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया ।

4) उक्त प्रार्थना पत्र पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, बाडी जिला धौलपुर से प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट/टिप्पणी प्राप्त की गयी जिसका अवलोकन किया गया । विचारण न्यायालय ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकित किया है कि पुलिस थाना कंचनपुर की ओर से एफ.आर. पेश होने के पश्चात् दिनांक 16/9/2022 को प्रकरण संख्या 84/2022 दर्ज कर परिवादिया को जरिए नोटिस तलब किया गया किन्तु दिनांक 13/5/2024 एवं इस दौरान नियत की गई विभिन्न तारीख पेशियों पर परिवादिया न्यायालय में उपस्थित नहीं आई और दिनांक 19/6/2024 उपस्थित आकर साक्ष्य हेतु समय चाहा एवं तत्पश्चात् दिनांक 7/10/2024 को भी परिवादिया ने उपस्थित होकर साक्ष्य हेतु समय चाहा । पत्रावली वर्तमान पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रथम बार दिनांक 4/12/2024 को पेश होने पर उसी दिनांक को परिवादिया शशी के कथन लेखबद्ध किये गये जिसके पश्चात परिवादिया कई तारीख पेशियों पर परिवादिया उपस्थित नहीं आई और उनके अधिवक्ता ने साक्ष्य हेतु समय चाहा । दिनांक 4/6/2025 को परिवादिया के गवाहान नितिन कुमार, भूरीसिंह व रामप्रकाश मध्याह्न पश्चात उपस्थित आये किन्तु न्यायालय की अन्य पत्रावलियों में उपस्थित आये 19 गवाहान के बयान लेखबद्ध किये जाने के साथ-साथ परिवादिया के गवाह नितिन कुमार के बयान भी लेखबद्ध किये गये किन्तु न्यायालय समय समाप्त हो जाने के कारण अन्य गवाहान के बयान लेखबद्ध नहीं हो सके । आगामी कई तारीख पेशियों पर परिवादिया अथवा उसके गवाहान उपस्थित नहीं आये एवं दिनांक 22/1/2026 को परिवादिया के गवाह भूरीसिंह के उपस्थित आने पर उसके बयान लेखबद्ध किये गये । इसके पश्चात् दिनांक 9/4/2026 को भी परिवादिया अथवा उसका कोई गवाह न्यायालय में उपस्थित नहीं आया । न्यायालय द्वारा कभी भी कोई अकारण स्थगन नहीं दिया गया है और परिवादिया व उसके गवाहान के अनुपस्थित रहने के बावजूद उनको न्यायहित में अवसर प्रदान कर पूर्ण निष्पक्षता से प्रकरण की सुनवाई की जा रही है ।

5) उक्त प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी का अवलोकन किया गया ।

6) संबंधित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, बाडी जिला धौलपुर द्वारा प्रकरण में टिप्पणी प्रस्तुत की गई है जिसके अवलोकन से ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं

हुआ है जिससे यह माना जा सके कि उक्त पीठासीन अधिकारी द्वारा परिवादिया से द्वेष भावना रखते हुए उसके प्रकरण में मनमाने तरीके से कार्यवाही की जाकर अकारण स्थगन देते हुए प्रकरण की कार्यवाही को लंबित रखा जा रहा हो । अतः उक्त टिप्पणी स्वीकार की जाती है । ऐसी स्थिति में प्रकरण अंतरित किये जाने के कोई आधार इस न्यायालय के समक्ष नहीं होने से परिवादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है किन्तु हस्तगत प्रकरण की त्वरित सुनवाई किये जाने हेतु पीठासीन अधिकारी/विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

7) अतः प्रार्थिया/परिवादिया शशी की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 448 बी.एन.एस.एस. सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है । साथ ही विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, बाडी, जिला धौलपुर को निर्देशित किया जाता है कि वह हस्तगत प्रकरण की शीघ्रातिशीघ्र सुनवाई करते हुए उक्त प्रकरण को तीन माह के अंदर निस्तारित करने का प्रयास करें । आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय को भिजवाई जावे ।

**(संजीव मागो)**
**सेशन न्यायाधीश,**
**धौलपुर-राज०**

यह आदेश आज दिनांक 27/7/2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।

**(संजीव मागो)**
**सेशन न्यायाधीश,**
**धौलपुर-राज०**

MANISH SHARMA

PA cum EA "Authenticated Document" Digitally signed by MANISH SHARMA Date: 2026.07.27 16:53:22 +0530